प्रेस विज्ञप्ति

13/06/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इलाहाबाद सब-ज़ोनल कार्यालय ने जू फेई, भारत में अवैध रूप से रह रहे चीनी नागरिक और अन्य के मामले में धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 13.58 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क की है। जब्त की गई संपत्तियां बैंक बैलेंस, सावधि जमा, अचल संपत्तियां और बीमा पॉलिसियों के रूप में हैं जिनका लाभकारी स्वामित्व रवि नटवरलाल ठक्कर और अन्य के पास है।

ईडी ने स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश पुलिस, गौतम बुद्ध नगर द्वारा भा.दं.सं. 1860, विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर और अनुवर्ती आरोप पत्रों के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि ज़ू फेई भारत में अवैध रूप से ठहरा हुआ था। जू फेई, रवि नटवरलाल ठक्कर और अन्य के साथ मिलकर चीनी नागरिकों के लिए एनसीआर क्षेत्रों में संदिग्ध होटलों और क्लबों को नियंत्रित और संचालित कर रहे थे, विशेष रूप से उन्होंने जिन्हें भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया और ठहरे थे। उन्होंने एक-दूसरे के साथ मिलकर कठपुतली/नकली निदेशकों को रखते हुए कई कागजी कंपनियां खोलीं और ऐसी कंपनियों की छत्रछाया में रुपी प्लस, लकी वॉलेट, फ्लैश पैसा, पैसा करो, हाय पैसा, राधा मनी आदि जैसे विभिन्न तत्काल ऋण ऐप संचालित कर रहे थे। वे उधार लेने वालों के व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच प्राप्त करते थे और ऋण वसूली की आड़ में उन्हें ब्लैकमेल और धमकी देते थे। इस तरह से उन्होंने पूरे भारत भर में लोगों को धोखा दिया और करोड़ों रुपये की बड़ी रकम एकत्र की जिसे उन्होंने चीनी कार्टेल द्वारा नियंत्रित फर्जी/कागजी/शेल कंपनियों के माध्यम से घुमावदार लेनदेन के जरिए कंपनियों के जाल में डाल दिया।

आगे की जांच जारी है।